

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-13 मई, 2025

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-83 के अधीन सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला, अलीगढ़ का सुदृढीकरण (रा.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-16/प.-1/9ख/सू.प्रशि.केन्द्र/2025-26, दिनांक-29.04.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-08-सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला, अलीगढ़ का सुदृढीकरण के निम्नलिखित मानक मर्दों में प्राविधानित धनराशि रु0-9.40 लाख (रुपये नौ लाख चालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मर्द	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
12-कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण	1.00
18-प्रकाशन	0.50
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.50
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	0.40
29-अनुरक्षण	5.00
42-अन्य व्यय	1.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	1.00
योग-	9.40

(रुपये नौ लाख चालीस हजार मात्र)

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानकों/अनुमोदित कार्ययोजना एवं निर्धारित मर्दों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
- (3) निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
- (4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
- (5) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
- (6) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय ३०प्र० भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, ३०प्र० प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) २०१६ एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- (7) निर्माण/अनुरक्षण कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि का आहरण करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-२ के शासनादेश दिनांक-२६ अगस्त, २०१४ के प्राविधानों के अनुसार कार्यदायी संस्था से प्राप्त आगणन का मूल्यांकन एवं परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करा ली जायेगी।
- (8) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-६/२०२५/बी-१-३५२/दस-२०२५-२३१/२०२५, दिनांक-२७.०३.२०२५ में दिये गये निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था का निर्धारण कराने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण/अनुरक्षण कार्यों हेतु किया जायेगा।
- (9) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवेतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में ३०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय लेखाशीर्ष: 2403007890800 (सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला, अलीगढ़ का सुदृढीकरण)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1 083	2403007890800 सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला, अलीगढ़ का सुदृढीकरण	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
2 083	2403007890800 सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला, अलीगढ़ का सुदृढीकरण	18 प्रकाशन	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
3 083	2403007890800 सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला, अलीगढ़ का सुदृढीकरण	19 विज्ञापन, बिक्री और विद्यापत्र व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
4 083	2403007890800 सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला, अलीगढ़ का सुदृढीकरण	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	40,000 (रुपये चालीस हजार मात्र)
5 083	2403007890800 सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला, अलीगढ़ का सुदृढीकरण	29 अनुरक्षण	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
6 083	2403007890800 सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला,	42 अन्य व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		अलीगढ़ का सुदृढ़ीकरण		
7	083	2403007890800 सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला, अलीगढ़ का सुदृढ़ीकरण	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
	कुल			9,40,000 (रुपये नौ लाख चालीस हजार मात्र)

महायोग	9,40,000 (रुपये नौ लाख चालीस हजार मात्र)
---------------	--

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव।

पृष्ठ-88/2025/732(1)/सेंटीस-2-2025/001-1(67)/02, तद्विनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी/सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।